न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या– 101/2019
वाद प्रस्तुति दिनांक–05.09.2019
निर्णय दिनांक–12.06.2024

1. कैलाश पुत्र सुवालाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. रामअवतार पुत्र सुवालाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र सुवालाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. मन्नी पुत्री सुवालाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. चम्पा पुत्री सुवालाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. चमेली पुत्री सुवालाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. प्रेम पुत्री सुवालाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. मु. कानी बेवा सुवालाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. सीताराम पुत्र गोलू जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. प्रसन्न पुत्री गोलू जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. मदन पुत्र रामबिलास जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. रामदयाल पुत्र रामबिलास जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. सम्पत पुत्री रामबिलास जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
12. सुमित्रा पुत्री रामबिलास जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
13. रूकमा पुत्री रामबिलास जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
14. कमला बेवा रामबिलास जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
15. भैरू पुत्र रामरतन जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
16. सुमन पुत्री रामरतन जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
17. प्रेम पत्नि रामरतन जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
18. विनोद पुत्र रामजस जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
19. तुलसी पुत्री रामजस जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

20. गीता बेवा रामजस जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

21. तहसीलदार पीपलू

अधिवक्ता वादी–श्री कैलाश चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01–श्री राजाराम चौधरी

दावा इस्तकरारहक एवं उद्घोषणा
अन्तर्गत धरा 88 राज. टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी कैलाश बनाम प्रहलाद वगै0 प्रकरण संख्या 101/2019 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 15, 16, 75, 397, 405, 406, 482, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 680, 681, 689, 691, 842, 849, 915, 1036, 1050, 1107, 1110 कुल किता 24 कुल रकबा 69–17 बीघा वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली में स्थित है। यह की वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात कल्याण हीर की थी। जिसके चारो पुत्र सुवालाल, गोलू, काना, पांचू पैदा हुए थे। जिनमें से काना व पांचू लाऔलाद फोत हुए है। उनके लाऔलाद फोत होने पर उक्त आराजीयात सुवालाल व गोलू के बहिस्सा बराबर 1/–1/2 हक व हिस्से में आई है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता व पति सुवालाल अपने हिस्से की भूमि 1/2 पर व प्रतिवादी संख्या 07 ता 21 के पूर्वज गोलू 1/2 हिस्से पर काबिज रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 सुवालाल का सबसे बडा पुत्र है। जिसने बिना किसी पंजीकृत गोदनामा अथवा दस्तावेज के राजस्व कर्मचारियो से साज कर अपने आपको काना का दत्तक पुत्र बताकर उक्त आराजीयात के 1/4 हिस्से को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा लिया गया। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 सुवालाल का सबसे बडा पुत्र था। जो विधि अनुरूप किसी के यहां गोद भी नहीं जा सकता है। वादीगण के पिता सुवालाल के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना नाम प्राकृतिक पिता सुवालाल की विरासत में भी अंकित करवा लिया। दूसरी ओर काना का दत्तक पुत्र बनकर उसके हिस्से की भूमि में अपना नाम अंकित करवा रखा है। प्रतिवादी संख्या 01 को कभी भी काना ने न तो गोद लिया ओर न ही उसको अपना दत्तक पुत्र बनाया गया है। मौके पर उक्त वर्णित आराजीयात जो सुवालाल का 1/2 हिस्सा है। उसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ने मौके पर बहिस्सा बराबर अर्थात 1/6, 1/6, 1/6 के रूप में आराजीयात बंटवारा करके अपने पिता के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी उक्त आराजीयात इसी अनुरूप वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 काबिज चले आ रहे है तथा शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 20 काबिज है। वादीगण मौके पर उक्त आराजीयात के क्रमशः 1/6, 1/6 हिस्से पर अपने पिताजी के समय से काबिज है। इसलिए वादीगण को उक्त आराजीयात के 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः डिक्री बहक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 बाबत् उद्घोषणा पारित फरमायी जाकर भूमि ख0न0 15, 16, 75, 397, 405, 406, 482, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 680, 681, 689, 691, 842, 849, 915, 1036, 1050, 1107, 1110 कुल किता 24 कुल रकबा 69–17 बीघा वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली के 1/6, 1/6 हिस्से का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद कराया जावे तथा त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करवाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी ने वकालतनामा व जवाबदाया मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 मध्य आपस में राजीनामा हो गया है और मुताबिक राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 द्वारा अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र द्वारा वादीगण के पक्ष में हकत्याग कर दिया गया है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे तथा प्रहलाद दत्तक पुत्र काना, जो सुवा का बडा पुत्र है। जो कभी भी काना के गोद नही गया था। लेकिन बडा होने के कारण काना को विरासत का नामान्तकरण अपने अकेले के नाम खुलवा लिया गया तथा सुवा की विरासत का नामान्तकरण अपने अकेले के नाम खुलवा लिया गया तथा सुवा की विरासत का नामान्तकरण भी तीनो पुत्रो कैलाश, रामअवतार व प्रहला तथा बहिनो के नाम खोला गया है। बहिनो व मां का हकत्याग जो प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 है। हकत्याग हो चुका है। प्रहलाद ने भी सुवा की विरासत में बहिनो के साथ हकत्याग कर दिया था और अकेला काना के हिस्से की जमीन लेना चाहता था। जिस पर परिवार में लडाई झगडा होने की स्थिती पैदा हो गई थी। लेकिन रिश्तेदारो व समाज के पंच पटेलो ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 जो सुवा के तीनो पुत्र है, को एकसाथ बिठाकर समझाया गया। जिससे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ने रिश्तेदारो व समाज के पंच पटेलो के समझाने से सहमत हो गये और प्रतिवादी संख्या 01 प्रहलाद ने काना के हिस्से की जमीन को सुवा के तीनो पुत्र वादीगण संख्या 01 व 02 व प्रतिवादी संख्या 01 अर्थात तीनो भाईयो में बराबर बराबर बंटवारा करने पर सहमत हो गया है। इस प्रकार प्रहलाद पुत्र काना का नाम हटाया जाकर काना के 1/4 हिस्से की भूमि को भी सुवा के तीनो पुत्रो वादीगण संख्या 01 व 02 व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावे। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा सुवा की विरासत कैलाश, रामअवतार, प्रहलाद के नाम आयी भूमि 1/4 हिस्सा वादीगण संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 01 तथा काना की विरासत से प्रहलाद के नाम आयी भूमि 1/4 हिस्से को मिलाकर सुवा के तीनो पुत्रो केलाश, रामअवतार व प्रहलाद के बीच बराबर, बराबर यानि 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से के रूप में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। साथ अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने इकबाली जवाब दावे में बताया की वाद पत्र में चाही गई अधियाचना जिस प्रकार अंकित है। सही एवं स्वीकार है। दावा वादीगण मुताबिक अधियाचना के डिक्री कर दिया जावे। इसमें प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपत्ति नहीं है ओर न ही भविष्य में किसी प्रकार की आपत्ति करेगा।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि भूमि आराजी ख0न0 भूमि आराजी ख0न0 15, 16, 75, 397, 405, 406, 482, 511, 515, 516, 517, 518,

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

519, 680, 681, 689, 691, 842, 849, 915, 1036, 1050, 1107, 1110 कुल किता 24 कुल रकबा 69–17 बीघा वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली में स्थित है। यह की वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात कल्याण अहीर की थी। जिसके चारो पुत्र सुवालाल, गोलू, काना, पांचू पैदा हुए थे। जिनमें से काना व पांचू लाऔलाद फोत हुए है। उनके लाऔलाद फोत होने पर उक्त आराजीयात सुवालाल व गोलू के बहिस्सा बराबर 1/–1/2 हक व हिस्से में आई है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता व पति सुवालाल अपने हिस्से की भूमि 1/2 पर व प्रतिवादी संख्या 07 ता 21 के पूर्वज गोलू 1/2 हिस्से पर काबिज रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 सुवालाल का सबसे बडा पुत्र है। जिसने बिना किसी पंजीकृत गोदनामा अथवा दस्तावेज के राजस्व कर्मचारियो से साज कर अपने आपको काना का दत्तक पुत्र बताकर उक्त आराजीयात के 1/4 हिस्से को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा लिया गया। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 सुवालाल का सबसे बडा पुत्र था। जो विधि अनुरूप किसी के यहां गोद भी नहीं जा सकता है। वादीगण के पिता सुवालाल के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना नाम प्राकृतिक पिता सुवालाल की विरासत में भी अंकित करवा लिया। दूसरी ओर काना का दत्तक पुत्र बनकर उसके हिस्से की भूमि में अपना नाम अंकित करवा रखा है। प्रतिवादी संख्या 01 को कभी भी काना ने न तो गोद लिया ओर न ही उसको अपना दत्तक पुत्र बनाया गया है। मौके पर उक्त वर्णित आराजीयात जो सुवालाल का 1/2 हिस्सा है। उसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ने मौके पर बहिस्सा बराबर अर्थात 1/6, 1/6, 1/6 के रूप में आराजीयात बंटवारा करके अपने पिता के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी उक्त आराजीयात इसी अनुरूप वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 काबिज चले आ रहे है तथा शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 20 काबिज है। वादीगण मौके पर उक्त आराजीयात के क्रमशः 1/6, 1/6 हिस्से पर अपने पिताजी के समय से काबिज है। इसलिए वादीगण को उक्त आराजीयात के 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 मध्य आपस में राजीनामा हो गया है और मुताबिक राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 द्वारा अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र द्वारा वादीगण के पक्ष में हकत्याग कर दिया गया है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे तथा प्रहलाद दत्तक पुत्र काना, जो सुवा का बड़ा पुत्र है। जो कभी भी काना के गोद नही गया था। लेकिन बडा होने के कारण काना को विरासत का नामान्तकरण अपने अकेले के नाम खुलवा लिया गया तथा सुवा की विरासत का नामान्तकरण अपने अकेले के नाम खुलवा लिया गया तथा सुवा की विरासत का नामान्तकरण भी तीनो पुत्रो कैलाश, रामअवतार व प्रहला तथा बहिनो के नाम खोला गया है। बहिनो व मां का हकत्याग जो प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 है। हकत्याग हो चुका है। प्रहलाद ने भी सुवा की विरासत में बहिनो के साथ हकत्याग कर दिया था और अकेला काना के हिस्से की जमीन लेना चाहता था। जिस पर परिवार में लडाई झगडा होने की स्थिती पैदा हो गई थी। लेकिन रिश्तेदारो व समाज के पंच पटेलो ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 जो सुवा के तीनो पुत्र है, को एकसाथ बिठाकर समझाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

जिससे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ने रिश्तेदारो व समाज के पंच पटेलो के समझाने से सहमत हो गये और प्रतिवादी संख्या 01 प्रहलाद ने काना के हिस्से की जमीन को सुवा के तीनो पुत्र वादीगण संख्या 01 व 02 व प्रतिवादी संख्या 01 अर्थात तीनो भाईयो में बराबर बराबर बंटवारा करने पर सहमत हो गया है। इस प्रकार प्रहलाद पुत्र काना का नाम हटाया जाकर काना के 1/4 हिस्से की भूमि को भी सुवा के तीनो पुत्रो वादीगण संख्या 01 व 02 व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावे। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा सुवा की विरासत कैलाश, रामअवतार, प्रहलाद के नाम आयी भूमि 1/4 हिस्सा वादीगण संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 01 तथा काना की विरासत से प्रहलाद के नाम आयी भूमि 1/4 हिस्से को मिलाकर सुवा के तीनो पुत्रो कैलाश, रामअवतार व प्रहलाद के बीच बराबर, बराबर यानि 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से के रूप में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। साथ अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने इकबाली जवाब दावे में बताया की वाद पत्र में चाही गई अधियाचना जिस प्रकार अंकित है। सही एवं स्वीकार है। दावा वादीगण मुताबिक अधियाचना के डिक्री कर दिया जावे। इसमें प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपत्ति नहीं है ओर न ही भविष्य में किसी प्रकार की आपत्ति करेगा।

पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त उनवानी प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों के संबंध मे वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हैं। जिसके अनुसार पक्षकारान् के मध्य यह तय हुआ हैं कि उक्त वर्णित आराजीयात में मुताबिक राजीनामा सुवा की विरासत से कैलाश, रामअवतार, प्रहलाद के नाम आयी भूमि हिस्सा 1/4 में वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 01 तथा काना की विरासत से प्रहलाद के नाम आयी भूमि हिस्सा 1/4 को मिलाकर सुवा के तीनो पुत्रो कैलाश, रामअवतार व प्रहलाद के बीच बराबर, बराबर यानि 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से के रूप में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। लिहाजा उक्त प्रकरण में बहिने एवं मां जो की प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 है, का भी हक हिस्सा निहित है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 ने जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र द्वारा हकत्याग किया जा चुका है। इस कारण उनका नाम वादपत्र से विलोपित किया जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजीयात पक्षकारान् की पैत्तृक संपत्ति है। जो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। भूमि आराजी ख0न0 15, 16, 75, 397, 405, 406, 482, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 680, 681, 689, 691, 842, 849, 915, 1036, 1050, 1107, 1110 कुल किता 24 कुल रकबा 69–17 बीघा वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली में सुवालाल के वारिसान् वादी संख्या 01, 02 व प्रतिवादी संख्या 01 को सुवालाल पुत्र कल्याण व काना पुत्र कल्याण से प्राप्त आराजीयात, जिसमें सुवालाल व काना का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा निहित था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने आप को काना का गोदपुत्र बताकर, काना पुत्र कल्याण के सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तकरण बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अपने हक में करवा लिया है। जो विधिविरूद्ध एवं त्रुटीपूर्ण है। काना पुत्र कल्याण के हिस्से में भी तीनो भाईयो वादी संख्या 01 कैलाश पुत्र सुवालाल, वादी संख्या 02 रामअवतार पुत्र सुवालाल व प्रतिवादी संख्या 01 प्रहलाद पुत्र सुवालाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा निहित है। जिसको प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने इकबाली जवाब व

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

राजीनामा में स्वीकार किया है। उक्त विवेचना के आधार वाद वादी डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः भूमि आराजी ख0न0 15, 16, 75, 397, 405, 406, 482, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 680, 681, 689, 691, 842, 849, 915, 1036, 1050, 1107, 1110 कुल किता 24 कुल रकबा 69–17 बीघा वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली में वर्णित आराजीयात में सुवालाल पुत्र कल्याण व काना पुत्र कल्याण की आराजीयात में सुवालाल के तीनो पुत्र वादी संख्या 01 कैलाश पुत्र सुवालाल, वादी संख्या 02 रामअवतार पुत्र सुवालाल व प्रतिवादी संख्या 01 प्रहलाद पुत्र सुवालाल जाति अहीर निवासी ग्राम जंवाली को बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3, 1/3 यानि कुल का 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को आदेशित किया जाता हैं कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक निर्णय अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाकर, वादी संख्या 01, 02 व प्रतिवादी संख्या 01 का बहिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 यानि कुल का 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में करे। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कपिल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner